कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1102 /1 सी० (वन) दिनांक 17/8 /2017

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय-- **प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/12951/2016 गोचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक स0 305/FP/UK/ROAD/12951 /2015 दिनांक 27.07.2017, आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 02.08.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं0 818/1सी0 वन दिनांक 24.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो के कम मे अवगत कराना है कि आपत्तियो का निराकरण इ0डी0एस0 दिनांक 13.06.2017 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक स0 818/1सी0 वन दिनांक 24.06.2017 द्वारा बिन्दुवार ऑख्या हार्डकापी एवं ऑनलाइन प्रेषित कि जा चुकी है। जो निम्नानुसार है:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	The village level committee (VLC) proceeding provided for only one village while as per village wise break up the proposed alignment passing through the boundary of three villages. The VLC for other two villages may upload along the FRA certificate in designated place in Part I.	ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम ओब्याग्वाड, चर्खिल ग्वाड (ग्राम पंचायत सुनाक) एवं धनपुर के प्रपत्र F.R.A में Part I के बिन्दु K में अपलोड कर दिये गये है। जिसे संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।
2	The data furnished in the district profile is appears to be incorrect as the total diverted land does not tally with the CA stipulation. The State Govt may review the information furnished and if required may clarify the differences.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	The density appears to be incorrect in online Part II and the NPV calculation is also not correct. The State Govt may review the same and provide correct density and NPV calculation in view of the tree felling involved.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
4	Details of wildlife in online Part II are not provided.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
5	As per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees. 734 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 233 trees are made in online Part II, which may be corrected accordingly.	पार्ट--।। में 233 वृक्षों के स्थान पर 230 वृक्ष आपके स्तर से अंकित किये जाने है।

6	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha proposed for CA, 2 ha is moderately dense forest. State Govt may replace this 2 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, SoI topohseet map and KML file of the complete 4.46 ha CA area again after making the above change.	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु ग्राम–सिन्द्रवणी लग्गा झिरकोटी में 2 ha में moderately dense forest होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 2.00 हे. अन्यत्र भूमि का ग्राम बौंला सेरा में चयन किया गया है। जिससे सम्बन्धित मानचित्र एवं प्रमाण पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक सं0 194/1सी0 वन दिनांक 23.2.2017 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके है। संलग्न 1– पत्र प्राप्ति की रसीद।
7	The area 0.130 ha is marked for muck dumping in the civil land which is not clear that is it included in the area proposed for diversion. If the area marked for muck dumping attracts FCA, 1980 it should be a part of area proposed for diversion. The State Govt may revise the proposal accordingly and all necessary documents may be corrected accordingly in online Part I and II. The State Govt may propose the muck dumping in private land with provided NOCs of land owners to this office	मकडिस्पोजल स्कीम वन पंचायत भूमि में ली गयी है। प्रस्ताव में 2.100 हे0 वन पंचायत एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 भूमि को सम्मिलित करते हुये कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मकडिस्पोजल स्कीम हेतु वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त सिविल भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नही हैं।

भवदीय

17/8/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

17/8/17

पत्रांक– /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता तृतीय अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

02. As per MORD speci...
IS 1786:2008 clause ...
from original/primary ...
rerolled steel shall be ...

...rced cement concrete in ...
...per drawing and ...
...ecificatioPCC Grade M1...

...10" plain reinforce...
...complete as per draw...
...ications Clause 802, 80...

...back of wallis inclu...
...ting t&p etc. complete...

...ment mortar (1:3) on ...
...as per Technical Speci...

...Stone Masonry laid ...
...road walls, retain...
...etc. including supp...
...and royalties etc...
...ecifications)

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

पत्रांक - 1९५/1सी.(वन)
(संलग्न - उपरोक्तानुसार)

ह0
5-3-17

कुलदीप कैंत